अध्याय 13
लेखापरीक्षा

धारा 65 : कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा

(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परन्तु जहां आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए उसका विस्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''लेखापरीक्षा का आरंभ'' से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं या कारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा वास्तविक रूप से आरंभ की जाती है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।

(5) लेखापरीक्षा के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षाा कर सकेगा,—

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करने;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों की सूचना देगा।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 [1][या धारा 74क] के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

उपयुक्त नियमः नियम 101

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूपः जीएसटी एडीटी–01, जीएसटी एडीटी–02

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।